न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–01/21 (मुत0राजस्व)

दायर दिनाकः–18.01.2021
निर्णय दिनाकः–13-7-2021

अनवान

1– श्री भीखालाल पिता नाथुजी बुनकर निवासी अम्बाडा तहसील सागवाडा

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री डूँगर पिता धुलिया बुनकर निवासी अम्बाडा तहसील सागवाडा
2 –श्री कचरा पिता धुलिया बुनकर निवासी अम्बाडा तहसील सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी–श्री राकेश बुनकर
वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए

आदेश

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है। प्रार्थी की कृषि भुमि खाता संख्या 276/206 के खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.0889 हेक्टर की मौजा अम्बाडा मे है जिसे प्रार्थी के द्वारा पंजिकृत विकय पत्र के कय किया है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण एक ही गॉव के होकर चाचा भतीजा है प्रार्थी के खसरा नम्बर 1271 से सटकर ही बिलानाम खसरा नम्बर 1270 है जिस पर अतिकमण करते हुए अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की भुमि मे जे.सी.बी के माध्यम से समतलीकरण करवाया जा परकोटे का निर्माण कराया जा रहा है और प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भुमि से बैदखल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है वगैरा....। अप्रार्थीगण मौके पर विवाद कर प्रार्थी की भुमि पर अतिकमण करने की नियत रखते है। जिससे उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर सम्मन अप्रार्थीगण को जारी किए गये, अप्रार्थीगण 1 व 2 बादतामिल सम्मन होने के उपरान्त भी न्यायालय मे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आए एव अपना जवाब दिनाक 17.03.2021 को पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भुमि खसरा नम्बर 1271 जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 के अनुसार उक्त भुमि भीखा,रमेश,शान्ति,नर्वदा पिसरान् नाथु,मणी बेवा नाथु,डूँगर,कचरा पिसरान् धुला के खाते दर्ज रेकार्ड है इससे पूर्व सम्वत् 2022 मे उक्त खसरा धुला पिता अमरा बलाई के खाते दर्ज रेकार्ड थी जो अप्रार्थीगण के पिता है। उक्त खसरे पर ग्राम पंचायत के द्वारा रसीद संख्या 20 दिनाक 20.07.2001 को

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी कचरा के नाम से 30 गुणा 40 फिट कुल 1200 वर्गफिट का पट्टा जारी कर मकान निर्माण की स्वीकृती जारी की गई है। जिस पर अप्रार्थी कचरा का मकान तकरीबन 20 वर्षो से बना हुआ हो वह उसका उपयोग उपभोग निंबाध रूप से करता आ रहा है। प्रार्थी आए दिन अपने परीवार के लोगो पर झुठी कार्यवाही कर उन्हे डरा धमका कर उनकी जमीन हडपने की नियत रखता है प्रार्थी के द्वारा अपने भाई रामेंग की जमीन को भी हडपपने का प्रयास किया जा उसके साथ आए दिन विवाद किया जाता था जिसके चलते रामेंग की पत्नि कल्पना के द्वारा पुलिस मे रिर्पोट दी थी जिस पर पुलिस के द्वारा दोनो पक्षो को 12.01.2021 मे उपखण्ड मजिस्ट्रेट गलियाकोट के सक्षम पेश किया गया था। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह कहीं भी यह उल्लेख नही किया है कि प्रार्थी के द्वारा उक्त भुमि कब,किससे एव कितने रूपयो मे कय की थी।

यह कि प्रकरण मे न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादग्रस्त भुमि खसरा नम्बर 1271 पर अपनी खातेदारी एव कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का देने कहा। अप्रार्थीगण 1 व 2 के अभिभाषक के द्वारा जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए वादग्रस्त भुमि प्रार्थी के द्वारा जरीए पंजीकृत विकय पत्र के कब,किससे एव कितने मे कय की है उसका कोई उल्लेख अकिंत नही किया और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के विरूद्व बॅटवारे के दावा पेश किया गया जिसका अनवान कचरा बनाम भीखा है। उक्त खसरे का खाता सम्वत् 2022 से अप्रार्थी का है जिसमे अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा है उक्त खाते के खसरा नम्बर 1271 अप्रार्थी के नाम से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के द्वारा नाथु को बहला फुसला कर बॅटवारा करवाए जाने के नाम पर तहसील कार्यालय लाया जा जयन्तिलाल के नाम से रजिस्ट्री करवा ली गई एव जयन्तिलाल से प्रार्थी ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली गई। दावा पेश करने के पूर्व से ही मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा हो तकरीबन 20 वर्ष से मकान बना हुआ है वर्तमान मे भी उक्त वादग्रस्त भुमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। प्रार्थी को कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है और ना ही सुविधा सन्तुलन उसके पक्ष मे है बल्कि यह मामला अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला हो सुविधा सन्तूलन भी उनके पक्ष मे है और अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को अपुर्णीय क्षति हो वह अपनी ही भुमि एव मकान के उपयोग उपभोग से वचिंत हो जाएगे जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने निवेदन किया।

न्यायालय के द्वारा पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया साथ ही प्रकरण की मुल पत्रावली का अवलोकन भी किया गया। प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 व 2022 एव मौके के फोटोग्राफ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे आदि का अवलोकन किया गया।

Scanned with CamScanner

यह कि पत्रावली मे पेश दस्तावेज एव अभिवचानो का अध्ययन करने से ऐसा प्रतित होता है कि मूल रूप से वादग्रस्त आराजी 2071 की भुमि को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है परन्तु वादग्रस्त भुमि 2071 का विक्रय प्रार्थी को किसके द्वारा एव कब किया गया इसका कोई दस्तावेज एव प्रमाण पत्रावली मे प्रार्थी के द्वारा पेश नही किया गया है और ना ही प्रार्थी उक्त भुमि पर कब से एव कैसे काबिज है उक्त बाबत् कोई प्रमाण है अप्रार्थीगण वादग्रस्त भुमि पर 20 वर्ष से काबिज हो ग्राम पंचायत के द्वारा उन्हे पट्टा भी जारी किया गया है पत्रावली मे पेश पट्टे की नकल,फोटोग्राफ मे मकान एव परकोटा बना हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। 107–117 जा.फो. के दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे वादग्रस्त भुमि को लेकर विवाद होना जाहिर है। प्रार्थी के द्वारा विक्रय पत्र अथवा विक्रय इकरार बाबत् कोई दस्तोवज पेश नही किया है ना ही प्रार्थी के द्वारा अतिक्रमण को लेकर पूर्व मे कोई राजस्व कार्यवाही की गई हो इस बाबत् प्रमाण पेश किया है। प्रार्थी के द्वारा भुमिधारी के माध्यम से मौके पर अतिक्रमण बाबत् कोई पर्चा मौका भी हल्का पटवारी से कायम नही करवाया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र मे भुमिधारी को फॉमर्ल रूप से पक्षकार भी नही बनाया गया है। पत्रावली पेश जमाबन्दी से वादग्रस्त भुमि केवल प्रार्थी के खातेदारी की होना जाहिर होता है परन्तु उक्त भुमि पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नही है जबकि इसके विपरीत अप्रार्थी के दस्तावेजो से उक्त भुमि सम्वत् 2022 से सम्वत् 2054 तक उनके पूर्वजो एव उनके खाते दर्ज रेकार्ड है ग्राम पंचायत के पट्टे से उक्त भुमि अप्रार्थी के नाम पर हो फोटोग्राफ से उनका कब्जा प्रथम दृष्टया प्रतित होता है। कब्जा एव स्वामित्व के विवाद को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव मे तय किया जाना उचित नही है जिससे वादग्रस्त भुमि का कब्जा व स्वामित्व संबंधित निर्णय मुल वाद के निस्तारण पर ही लिया जा सकता है ऐसे मे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2071 पर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अनुचित हो अन्याय पुर्ण होगा।

अतः उक्त अनवान प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2071 पर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होवे एव मुल पत्रावली के साथ संलग्न रहवे।

यह कि उक्त आदेश आज दिनाक 19.7.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with CamScanner